The Amount of Money Spent Under Haryana Rural Development Fund

69. SH. VARUN CHAUDHRY (MULLANA): Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state:—

a) the amount of money spent by the Government during the year 2018-2019, 2019-20, 2020-21 and 2021-22 under the Haryana Rural Development Fund in State;

b) the balance amount available under the abovesaid fund alongwith interest earned by the Government as on 15th November, 2022; and

c) the criteria of spending out the abovesaid fund ?

DEVENDER SINGH BABLI, DEVELOPMENT & PANCHAYATS MINISTER, HARYANA

Sir,

a) An amount of Rs.924.19 crores; Rs.686.03 crores; Rs.101.99 crores and Rs.113.67 crores was spent by the Government during the year 2018-2019, 2019-20, 2020-21 and 2021-22 respectively under the Haryana Rural Development Fund in State.

b) the balance amount available under the abovesaid fund alongwith interest earned by the Government as on 15th November, 2022 is Rs.1752.68 crores; and

c) the abovesaid fund is spent for carrying out development works in rural areas as per provisions under Section 6(5) of the Haryana Rural Development Act, 1986.

हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के तहत खर्च की गई राशि

69. श्री वरुण चौधरी (मुलाना): क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि -

क) राज्य में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च गई;

ख) उपरोक्त निधि के अन्तर्गत उपलब्ध शेष राशि कितनी है तथा 15 नवम्बर, 2022 तक सरकार द्वारा अर्जित की गई ब्याज की राशि कितनी है; तथा

ग) उपरोक्त निधि को खर्च करने के क्या मानदण्ड हैं?

देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा

श्रीमान,

क) सरकार द्वारा राज्य में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः मु०924.19 करोड़; मु०686.03 करोड़; मु०101.99 करोड़ तथा मु०113.67 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

ख) 15 नवंबर, 2022 तक उपरोक्त निधि के अन्तर्गत उपलब्ध शेष राशि अर्जित ब्याज सहित मु०1752.68 करोड़ रुपये है; तथा

ग) उपरोक्त निधि को हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6(5) के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है।